डी पी एच सी एल
DPHCL

8वीं वार्षिक रिपोर्ट
8th ANNUAL REPORT

2014-15

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल
DPHCL

8वीं वार्षिक रिपोर्ट
8th ANNUAL REPORT

2014-15

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 011-23490357 ई–मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

विषय–सूची | Contents

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function Of DPHCL	8
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors Report	12
5.	तुलन–पत्र Balance Sheet	20
6.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	22
7.	नकद प्रवाह का विवरण Cash Flow Statement	24
8.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements	26
9.	कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रमाणन Certification On Financial Statements Of The Company	36
10.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor’s Report	37
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments of The Comptroller General Of India	43

कंपनी सूचना
COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2014–2015)
Board of Directors (2014-2015)

श्री भीम सेन बस्सी
Sh. Bhim Sain Bassi
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 31-07-2013)

श्री किशन कुमार
Sh. Kishan Kumar
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 28-03-2014)

डॉ. अवधेश कुमार सक्सेना
Dr. Awdhesh Kumar Saxena
मनोनित निदेशक Nominee Director
(दिनांक/w.e.f. 22-06-2012 से/to 19-12-2014)

श्री गिरधारी लाल मीणा
Sh. Girdhari Lal Meena
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 29-10-2013)

श्री संजय प्रहलाद पाठक
Shri Sanjay Pralhad Pathak
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 28-03-2014)

श्री राकेश मित्तल
Sh. Rakesh Mittal
अपर निदेशक Additional Director
(दिनांक/w.e.f. 23-03-2015)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
कार्यालयः 191, गली बताशां,
चावड़ी बाज़ार,
दिल्ली – 110006

Statutory Auditors
M/s. Sunder Sharma & Company
Chartered Accountants
Office : 191, Gali Batashah,
Chawari Bazar,
Delhi – 110006

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

Bankers
State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

Registered Office :
Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 23490357 **ई–मेल : dphcltd@yahoo.com**

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 8वीं वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर, 2015 को 12:30 बजे पुलिस आयुक्त चैंबर, दुसरी मंजिल, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली–110002 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगीः

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2015 के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि का लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉ सहित 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना।

2. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2015–16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पारिश्रमिक निर्धारित करना और और निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स दुआ एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।''

विशेष कार्यः

3. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री राकेश मित्तल (डिन–01607834), प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, जो भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

CIN No.: U4500DL2007GOI170534

Tele No. 23490357 e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of **Delhi Police Housing Corporation Limited** will be held on 18th, the FriDay of September 2015 at 12:30 PM. in the Chamber of Commissioner of Police, 2nd Floor, PHQ, New Delhi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Corporation for the Finacial Year ended 31st March 2015 including Balance Sheet as at 31st March 2015 and the Statement of Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2015-16 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the followinfg resolution an **ordinary resolution:**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions Section139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act,2013 and rules framed there under, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of M/s Dua & Associates Chartered Accountant. Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2015-16."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

   "**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Rakesh Mittal (DIN-01607834) a representative of Ministry of Hom Affairs, New Delhi , who was appointed as an Additional Director to hold office as such upto the date of forthcoming Annual General Metting be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

4. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री यशपाल गर्ग (डिन–03574139), प्रतिनिधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जिन्हें भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय का पद संभालने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक
डिन–06855317
पताः 1/ V पुलिस कॉलोनी,
शालीमार बाग,
दिल्ली – 110088

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2015

टिप्पणीः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण, जो बैठक में विशेष कार्य संबंधी ब्यौरे को बताता है, यहां इसके साथ संलग्न है।

2. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी/परोक्षियों नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे परोक्षी/परोक्षिया को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे सदस्य अथवा अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से कार्य करेगा, जिनके पास मतदान के अधिकार के लिये कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

3. परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए, विधिवत भरा हुआ परोक्षी फार्म, कंपनी की बैठक आरंभ होने से पहले 48 घंटें पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। परोक्षी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है। कंपनियों, सोसायटियों, इत्यादि की ओर से प्रस्तुत परोक्षी फार्म उपयुक्त संकल्प/प्राधिकारी द्वारा समर्थित, यथा लागू, होना चाहिए।

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Commpanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Yashpal Garg (DIN-03574139,) a representative of GNCT, New Delhi , who was appointed as an Additional Director to hold office as such upto the date of forthcoming Annual General Metting be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

For and Behalf of
DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Place : New Delhi
Date : 18.09.2015

KISHAN KUMAR
Managing director
DIN: 06855317
Add: 1/V Police Cly. Shalimar Bagh, Delhi-110088

Notes:

1. The Explanatory statement Pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 , which sets out details relating to Special Business at the meeting, is annexed hereto.

2. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/ PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. SUCH A PROXY /PROXIES NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.** A person can act as proxy on behalf of member not exceeding fifty(50) and holding in the aggregate not more than can act ten percent of the total share capital of the Company.

3. The instrument of Proxy in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting. A Proxy Form is sent herewith Proxies submited on behalf of the companies, societies etc, must be suppoted by an appropriate resolution / authority, as applicable.

व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद सं.: 3

श्री राकेश मित्तल, प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को बोर्ड ने अपनी दि. 24.03.2015 को आयोजित बैठक में और गृह मंत्रालय के प़त्र सं. 14014 / 01 / 2012 यूपीटी (पीटी.) के द्वारा कंपनी का अपर निदेशक नियुक्त किया है।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा संकल्प के अनुमोदन को संस्तुत करता है।

श्री राकेश मित्तल को छोड़कर कोई भी निदेशक इस संकल्प में रूचि नहीं ले रहे हैं।

मद सं.:4

श्री यशपाल गर्ग, प्रतिनिधि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को बोर्ड ने अपनी 18सितंबर, 2015 में आयोजित बैठक में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प़त्र सं.13 / 13 / 2004 / एचपी–आई / स्था. के द्वारा कंपनी का अपर निदेशक नियुक्त किया है।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा संकल्प के अनुमोदन को संस्तुत करता है।

श्री यशपाल गर्ग को छोड़कर कोई भी निदेशक इस संकल्प में रूचि नहीं ले रहे हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक
डिन–06855317
पताः 1/ V पुलिस कॉलोनी,
शालीमार बाग,
दिल्ली – 110088

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2015

EXPLANATORY STATEMENT
(PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT 2013)

ITEM NO. 3

The Board of Directors in their meeting held on 24th March 2015 and vide letter No. 14014/01/2012 UPT(pt.) okf MHA dated 03rd March 2015 appointed Mr. Rakesh Mittal . A representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi as an Additional Director of the Company.

The Board recommends the approval of resolution by the shareholders by way of ordinary Resolution.

None of the Directors except Mr. Rakesh Mittal is interested in the proposed resolution.

ITEM NO. 4

The Board of Directors in their meeting held on 18th September, 2015 and vide letter No.13/13/2004/HP-I/Estt/ Of GNCT dated 19th August, 2015 appointed Mr. Yashpal Garg . A representative of GNCT , New Delhi as an Additional Director of the Company.

The Board recommends the approval of resolution by the shareholders by way of ordinary Resolution.

None of the Directors except Mr. Yashpal Garg is interested in the proposed resolution.

For and Behalf of
DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

KISHAN KUMAR
Managing director
DIN: 06855317
Add: 1/V Police Cly. Shalimar Bagh. Delhi-110088

Place : New Delhi
Date : 18.09.2015

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर –दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer– One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum-Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :–

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012– यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक – दो
2. स्वतंत्र निदेशक – दो
3. कार्यकारी निदेशक – दो

सरकारी निदेशक :– डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली – पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर–सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा **अनुसूची 'ग' सीपीएसई** कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS : DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :- The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई–मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017–2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टों, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रुप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBII, dated 6th September, 2019.

विलंब कथन

(वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019–यूटीपी/ भास/गृमं के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 से 2018–19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएएफईएएस सीबी–II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007–08 से 2018–19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBII, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on deted 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

आपके निदेशकों को कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर 8वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. **व्यापार और प्रचालन**

निगम की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस की 6 चल रही परियोजनाओं को लिया है और उस पर कार्य कर रहा है।

2. **वित्तीय सार अथवा विशेषताएं**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार है:

DIRECTOR'S REPORT

To,

The Members,

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Your Directors have pleasure in presenting their Ninth Annual Report on the business and operations of the Company and Audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2015.

1. **BUSINESS AND OPERATIONS:**

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Delhi Police Housing Corporation has taken over six on going projects of Delhi Police and is working on them.

2. **FINANCIAL SUMMARY OR HIGHLIGHTS:**

The financial performance, for the year ended 31st March, 2015 is summarized as:

(राशि रुपयों में/Amount in Rupees)

विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष / FY 2014-15	वित्तीय वर्ष / FY 2013-14
प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल)	Revenue from operations (net)	-	-
अन्य आय	Other income	147,574,126	123,839,899
कुल राजस्व	**TOTAL REVENUE**	**147,574,126**	**123,839,899**
व्यय	EXPENDITURE	131,398,407	110,624,505
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) before Extra Ordinary items	16,175,719	13,215,394
जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं	Add: Exceptional Items	-	-
घटाएं: असाधारण मदें	Less: Extra-ordinary Items	-	-
घटाएं: कर–निर्धारण के लिए प्रावधान	Less: Provision for taxation	(5,250,318)	(4,301,567)
वर्तमान कर	Current Tax		
आस्थगित कर	Deferred Tax		
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) after Tax for the year**	**10,925,401**	**8,913,827**

3. **लाभांश**

आपके निदेशको ने इस वर्ष कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया।

4. **आरक्षित**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने रू10,925,401/– की राशि आरक्षित में अंतरित की।

3. **DIVIDEND:**

Your Directors do not recommend any dividend for this year.

4. **RESERVES:**

During the Financial year ended 31st March, 2015, the Company has transferred an amount of Rs.10,925,401/- to reserves.

5. **वर्ष के दौरान कंपनी के कार्य/कम्पनी कार्य की स्थिति का सारतः विवरणः**

कंपनी का मुख्य कार्य पुलिस विभाग के कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण, संरचना निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण है। दिल्ली पुलिस की 6 चल रहीं परियोजनाओं को चला रही है।

6. **व्यापार की प्रकृति में परिवर्तनः**

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

7. **निदेशक मंडल की बैठकें:**

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच का अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुईं:

1) 27 जून, 2014

2) 26 अगस्त, 2014

3) 19 दिसंबर, 2014

4) 24 मार्च, 2015

5. **BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY'S WORKING DURING THE YEAR/STATE OF COMPANY'S AFFAIR:**

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. Six ongoing projects of Delhi Police are under supervision/construction.

6. **CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS:**

There is no change in the nature of business during the Financial Year 2014-2015.

7. **NUMBER OF BOARD MEETINGS:**

The Board met 4 (four) times during the financial year. The intervening gap between two Board Meetings was within the period prescribed by the Companies Act, 2013.

During the year under review, the Board met four times on the following dates:

1) 27th June, 2014

2) 26th August, 2014

3) 19th December, 2014

4) 24th March, 2015

नाम और पदनाम Name & Designation	बोर्ड मीटिंग की तारीख Date of Board Meeting	2014–15 के दौरान बैठकों में उपस्थिति Attendance at Meeting during 2014-2015		कंपनी में निदेशकों की संख्या No. of directorships in Companies
		बोर्ड की बैठक Board Meeting	वार्षिक आम बैठक AGM	
श्री भीम सेन बस्सी, अध्यक्ष Shri Bhim Sain Bassi, Chairman	27.06.2014, 26.08.2014, 19.12.2014, 24.03.2015	सभी/All	हां/YES	शून्य/NIL
श्री किशन कुमार Shri Kishan Kumar	27.06.2014, 26.08.2014, 19.12.2014, 24.03.2015	सभी/All	हां/YES	शून्य/NIL
श्री एस. पी. पाठक Shri S.P. Pathak	27.06.2014, 26.08.2014, 19.12.2014, 24.03.2015	सभी/All	हां/YES	शून्य/NIL
श्री जी. एल. मीणा Shri G. L. Meena	27.06.2014, 26.08.2014, 19.12.2014, 24.03.2015	केवल/Only 27.06.2014	नहीं/NO	शून्य/NIL

8. **मूलभूत परिवर्तन और वचनबद्धताः**

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, कंपनी की व्यापारिक गतिविधि में ऐसा कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं देखा गया है।

9. **महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरणः**

किसी विनियामक/कोर्ट अथवा अधिकरण द्वारा कंपनी की चलायमान स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी सार्थक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए।

8. **MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS:**

There were no material changes during the financial year 2014-15 which affects the financial position and growth of the Company.

9. **DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS:**

There were no significant and material orders passed by any regulators/courts or tribunals impacting the on-going concern status and company's operations in future.

10. **सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरणः**

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान कोई होल्डिंग, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है। अतएव, एमजीटी–9 में **अनुलग्नक "क"** में प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।

11. **निवेशः**

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के दायरे में कोई निवेश स्वीकार्य अथवा नवीकृत नहीं किया है तथा तुलन–पत्र की तारीख को कंपनी की ओर से कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था। वर्ष के दौरान, निगम ने जनता से कोई निवेश नहीं स्वीकारा है।

12. **सांविधिक लेखापरीक्षकः**

मैसर्स दुआ एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2015 के पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीपीएचसी(1)/601 द्वारा निगम का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

13. **सांविधिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टः**

मैसर्स सुंदर शर्मा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा प्रस्तुत लेखों की टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षक रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और कोई पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षक द्वारा कोई अर्हता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा खंडन नहीं किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड को धारा 143(12) के अंतर्गत कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई। अतएव, बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कोई स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी नहीं दी गई।

14. **वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सारः**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12

के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में प्ररूप सं. एमजीटी–9 के रूप में **अनुलग्नक 'क'** पर वार्षिक विवरणी का सार है।

15. **ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरणः**

कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आमेलन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

10. **DETAILS OF SUBSIDIARY/JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES:**

The Company does not have any Subsidiary/Joint Venture/Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the financial year. Hence, the disclosure in **Annexure "A"** in MGT-9 is not required.

11. **DEPOSITS:**

The Company has neither accepted nor renewed any deposits within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 during the financial year 2014-15 and no amount of principal or interest was outstanding on the part of the company as on the Balance Sheet date. The Corporation has not accepted any deposits from public during the year.

12. **STATUTORY AUDITORS:**

M/s Dua & Associates, Chartered Accountants, Delhi had been appointed as the Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) vide letter No.CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DPHC(I)/601 dated 17th July, 2015 for the financial year 2015-2016.

13. **STATUTORY AUDITOR REPORT:**

The Auditors' Report submitted by M/s Sunder Sharma & Co., Chartered Accountants along with notes to accounts is self explanatory and requires no separate comments. There was no qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditor in its report. Further no frauds were reported U/s 143(12) to the Board during the Financial Year 2014-2015 Hence, no explanations or comments are provided by the Board under section 134 of the Companies Act, 2013.

14. **EXTRACTS OF ANNUAL RETURN:**

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as Annexure 'A' in form MGT-9.

15. **CONSERVATION OF ENERGY & TECHNOLOGY ABSORPTION:**

The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and as such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.

16. **विदेशी मुद्रा आय अथवा व्यय:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा आय अथवा व्यय नहीं था।

17. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**

निगम (डीपीएचसीएल), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत दिए मानदंडों को पूरा नहीं करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है। लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार लाभ कमाने वाले सीपीएसई को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना आवश्यक है।

सीपीएसई की सीएसआर और संधारणीयता नीति का मुख्य ध्यान संधारणीय विकास और समावेशी विकास एवं स्थानीय क्षेत्रों में वंचितों की बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए।

निगम ने दिनांक 10 अगस्त, 2015 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में सीएसआर समिति का गठन किया है और आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीएसआर के कार्यान्वयन की पहलों को विकसित और कार्यान्वित करेगा।

18. **निदेशक मंडल:**

निगम के गठित निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं।

बोर्ड का गठन इस प्रकार है:

1. अध्यक्ष

   श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली
2. प्रबंध निदेशक

   श्री किशन कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस
3. श्री संजय प्रह्लाद पाठक, आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली
4. श्री राकेश मित्तल, निदेशक (दिल्ली), प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री यशपाल गर्ग, विशेष सचिव (गृह), प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली

सेवा निवृत्तियां और त्याग–पत्र

1. डॉ. ए. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव (दिल्ली), गृह मंत्रालय, प्रतिनिधि गृह मंत्रालय का निगम के निदेशक के रूप में कार्यकाल दिनांक 14 दिसंबर, 2014 को समाप्त किया गया। बोर्ड निगम में सेवा अवधि के दौरान डॉ. ए. के. सक्सेना द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

16. **FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:**

During the period under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

17. **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):**

The Corporation (DPHCL) does not fulfill the criteria laid down under Section 135 of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 135 (Corporate Social Responsibility) of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Corporation. As per DPE Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, all profit-making CPSEs are required to constitute Corporate Social Responsibility Committee.

The main focus of CSR and Sustainability policy of CPSEs should be on sustainable development and inclusive growth and to address the basic needs of the deprived in the local areas.

The Corporation has constituted CSR Committee in the Board Meeting held on 10th August, 2015 and will develop and implement Corporate Social Responsibility initiatives in the next financial year 2015-16.

18. **BOARD OF DIRECTORS:**

The Board of the Corporation is duly constituted, consisting of Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The Composition of the Board as follows:

1. Chairman

   Shri Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police, Delhi
2. Managing Director

   Shri Kishan Kumar, Special Commissioner of Police, Delhi Police
3. Shri Sanjay Pralhad Pathak, Commissioner (Planning), Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi
4. Shri Rakesh Mittal, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi
5. Shri Yashpal Garg, Special Secretary (Home) representative of GNCTD, New Delhi

Retirements and Resignations

1. Dr. A. K. Saxena, Joint Secretary (Delhi) Ministry of Home Affairs, a representative of the Ministry of Home Affairs ceased to be Director of the Corporation with effect from 19th December, 2014. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Dr. A. K. Saxena during his tenure with the Corporation.

2. श्री जी. एल. मीणा, विशेष सचिव गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली का निगम के निदेशक के रूप में कार्यकाल दिनांक 23 जून, 2015 को समाप्त किया गया। बोर्ड निगम में सेवा अवधि के दौरान श्री जी. एल. मीणा द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

नियुक्तियां

1. अवधि के दौरान श्री राकेश मित्तल, प्रतिनिधि गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को 24 मार्च, 2015 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में निगम का निदेशक नियुक्त किया गया था।

2. अवधि के दौरान श्री यशपाल गर्ग, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को सितंबर, 2015 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में निगम का निदेशक नियुक्त किया गया था।

19. <u>लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रकटीकरण:</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति निम्नांकित तारीख में दो (2) बार बैठक हुई:

1) 27 जून, 2014

2) 26 अगस्त, 2014

2. Shri G.L. Meena, Special Secretary Home, GNCT, Delhi ceased to be the Director of the Corporation with effect from 23rd June, 2015. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri G.L. Meena during his tenure with the Corporation.

Appointment

1. During the period Shri Rakesh Mittal, representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi was appointed as Director of the Corporation in the Board Meeting held on 24th March, 2015.

2. During the period Shri Yashpal Garg, representative of GNCTD, New Delhi was appointed as Director of the Corporation in the BoardMeeting held on ... September, 2015.

19. <u>DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE:</u>

During the year under review, the Audit Committee met two (2) times on the following dates:

1) 27th June, 2014

2) 26th August, 2014

क्र.सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री किशन कुमार Shri Kishan Kumar	अध्यक्ष Chairman	27.06.2014, 26.08.2014	27.06.2014, 26.08.2014
2	श्री संजय प्रहलाद पाठक Shri Sanjay Pralhad Pathak	सदस्य Member	27.06.2014, 26.08.2014	27.06.2014, 26.08.2014
3	श्री जी. एल. मीणा Shri G. L. Meena	सदस्य Member	27.06.2014, 26.08.2014	27.06.2014

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

वर्ष के दौरान, डीपीएचसीएल की लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार था:

- श्री किशन कुमार, निगम के प्रबंध निदेशक
- श्री गिरधारी लाल मीणा, निदेशक
- श्री संजय प्रहलाद पाठक, निदेशक

All recommendations made by the audit committee were accepted by the Board.

The Composition of the Audit Committee of DPHC during the year was as follows:

- Shri Kishan Kumar, Managing Director of the Corporation
- Shri Girdhari Lal Meena, Director
- Shri Sanjay Pralhad Pathak, Director

श्री गिरधारी लाल मीणा के त्याग–पत्र के कारण 4 अगस्त, 2015 को पुनर्गठित समिति इस प्रकार है:

- श्री किशन कुमार, निगम के प्रबंध निदेशक
- श्री संजय प्रहलाद पाठक, निदेशक
- श्री राकेश मित्तल, निदेशक

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए समिति की वित्तीय प्रक्रिया को मॉनीटर करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

कंपनी के आकार और कार्य–व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की माल और अचल संपत्ति की खरीद तथा व्ययों के भुगतान एवं सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी कार्य निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है, जिनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

21. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

22. संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे:

सबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गईं सविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव **अनुलग्नक 'ख'** के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररुप एओसी–2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

23. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तत्व बहुत कम हैं।

24. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (ग) में संदर्भित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण के अनुसार निदेशकों का कहना है कि:

(क) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

Due to resignation of Shri Girdhari Lal Meena, the committee was re-constituted on 4th August, 2015 as:

- Shri Kishan Kumar, Managing Director
- Shri Sanjay Pralhad Pathak, Director
- Shri Rakesh Mittal, Director

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

20. INTERNAL FINANCIAL CONTROL:

There is no need of internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of inventories & fixed assets and payment for expenses & for sale of goods as the Company is getting its work through executing agencies which have their own internal control systems.

21. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS:

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in form AOC-2 under **'Annexure B'**.

23. RISK MANAGEMENT POLICY:

The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal.

24. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act 2013, the directors would like to state that:-

(a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

(च) असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रस्तुति संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के उप खंड (ङ) कंपनी पर लागू नहीं हैं।

25. सामान्य प्रकटनः

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं हैः

1. लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा विशेष अधिकार के साथ ईक्विटी शेयर को जारी करना।
2. किसी ईएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों (श्रम साध्य ईक्विटी शेयर सहित) को जारी करना।
3. कर्मचारियों अथवा कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टी द्वारा कंपनी के खुद के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा धनराशि का प्रावधान।
4. बोनस शेयर।
5. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान तथा उनकी ड्यूटियों के संबंध में कंपनी की नीति।

26. आभारोक्तिः

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्णरूपेण तथा बाधारहित सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

(b) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(f) The Company being unlisted, sub clause (e) of section 134(3) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls is not applicable to the Company.

25. GENERAL DISCLOSURE:

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these items during the year under review:

1. Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise
2. Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme ESOP.
3. Provision of money by Company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
4. Bonus Shares.
5. Company's Policy relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge of their duties.

26. ACKNOWLEDGEMENTS:

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company,

भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के बैंकर, कंपनी के सनदी लेखाकार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा विभिन्न परामर्शदाता एसोसिएट्स का कंपनी को बहुमूल्य सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हम श्रीमती आशु गुप्ता, निगम के विधि सलाहकार का कंपनी की स्थापना और कंपनी के कार्यों की व्यवस्थित करने के लिए उनकी सतत् सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों और भिन्न स्तरों से लिए गए कंपनी के स्व–अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कर्मचारियों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके उमंग और उत्साह से कंपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष
डीन – 06699868
निवासः 68, लोदी एस्टेट
नई दिल्ली – 110003

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 09.09.2015

Chartered Accountant of the Corporation, Statutory Auditors of the Corporation. We are also thankful to Ms. Ashu Gupta, Company Law Advisor of the Corporation for her untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors

(Bhim Sain Bassi)
Chairman
DIN: 06699868
R/o: 68, Lodhi Estate,
New Delhi 110003

Place : New Delhi.
Dated: 09.09.2015

31 मार्च, 2015 को तुलन–पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं0	31/03/2015 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
ईक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयरपूंजी	1	500,00,000	500,00,000
आरक्षित और अधिशेष	2	476,47,838	367,22,437
गैर–चालू देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	3	7,89,503	–
चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	4	663,44,768	1699,00,371
अल्पावधि प्रावधान	5	4,01,456	–
कुल		**1651,83,565**	**2566,22,808**
आस्तियां			
चालू आस्तियां			
नकद और नकद तुल्य	6	1552,35,216	2457,23,313
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	7	8,45,227	8,51,713
अन्य चालू आस्तियां	8	91,03,122	100,47,782
कुल		**1651,83,565**	**2566,22,808**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का भाग हैं।	**1 व 21**		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एडं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष
डिन सं. 06699868

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक
डिन सं. 06855317

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2015

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of pervious reporting period ending on 31/03/2014
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	**1**	500,00,000	500,00,000
Reserves and Surplus	**2**	476,47,838	367,22,437
Non-Current Liabilities			
Other Long Term Liabilities		7,89,503	-
Current Liabilities			
Other Current Liabilities	**3**	663,44,768	1699,00,371
Short Term Provisions	**4**	4,01,456	-
Total		1651,83,565	2566,22,808
ASSETS			
Current Assets			
Cash and Cash Equivalents	**5**	1552,35,216	2457,23,313
Short Term Loans and Advances	**6**	8,45,227	8,51,713
Other Current Assets	**7**	91,03,122	100,47,782
Total		1651,83,565	2566,22,808
Significant Accounting Policies **Notes forming Part of financial Statements**	**1 to 21**		

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman
DIN No.06699868

Sd/-
(Kishan Kumar)
Managing Director
DIN No.06855317

Place : New Delhi
Date : 10.08.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं0	31/03/2015 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
राजस्व			
प्रचालन से प्राप्त राजस्व		—	—
अन्य आय	9	1475,74,126	1238,39,899
कुल राजस्व		**1475,74,126**	**1238,39,899**
व्यय			
परियोजना व्यय की लागत	10	1217,69,874	1032,20,854
अन्य व्यय	11	96,28,533	74,03,651
कुल व्यय		**1313,98,407**	**1106,24,505**
कर पूर्व लाभ		**161,75,719**	**132,15,394**
कर व्यय			
चालू कर		52,50,318	43,01,567
आस्थगित कर		—	—
अवधि के लिए लाभ		**109,25,401**	**89,13,827**
प्रत्येक रु.100/— के सममूल्य के ईक्विटी शेयर			
प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन:			
मूल और तरलीकृत		**21.85**	**17.83**
प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या		5,00,000	5,00,000
मूल और तरलीकृत			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का भाग हैं।	**1-21**		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एडं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन

ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2015

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष
डिन सं. 06699868

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक
डिन सं. 06855317

PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE ENDED 31st MARCH 2015

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
REVENUE			
Revenue from operations			
Other Income	9	1475,74,126	1238,39,899
Total Revenue		**1475,74,126**	**1238,39,899**
EXPENSES			
Cost of Project Expenses	10	1217,69,874	1032,20,854
Other expenses	11	96,28,533	74,03,651
Total Expenses		**1313,98,407**	**1106,24,505**
Profit before tax		161,75,719	132,15,394
Tax expense:			
Current tax		52,50,318	43,01,567
Deferred tax			
Profit for the period		**109,25,401**	**89,13,827**
Equity shares of par value 100/- each			
Earning per equity share:			
Basic and Diluted		**21.85**	**17.83**
Number of shares used in computing earnings per share			
Basic and Diluted		5,00,000	5,00,000
Significant Accounting Policies **Notes forming Part of financial Statements**	**1 to 21**		

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman
DIN No.06699868

Sd/-
(Kishan Kumar)
Managing Director
DIN No.06855317

Place : New Delhi
Date : 10.08.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
कराधान पूर्वलाभ	161,75,719	132,15,394
समायोजन के लिए		
ब्याज आय	(475,74,126)	(467,39,843)
ब्याज व्यय	–	–
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	(313,98,407)	(335,24,449)
कार्यशील पूंजी में उत्तर–चढ़ाव		
चालू आस्तियों में परिवर्तन	9,51,146	27,61,523
चालू देयताओं में परिवर्तन	(1027,66,100)	1573,95,070
प्रचालन से सृर्जित नकद	(1332,13,361)	1266,32,144
प्रदत्त आयकर	(48,48,862)	(51,53,280)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद उपयोग/अर्जित	**(1380,62,223)**	**1214,78,864**
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्राप्त ब्याज	475,74,126	467,39,843
निवेश गतिविधियों से निवल नकद उपयोग/अर्जित	475,74,126	467,39,843
वित्त पोशण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकद उपयोग/अर्जित	–	–
नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)	(904,88,097)	1682,18,707
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष	2457,23,313	775,04,606
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**1552,35,216**	**2457,23,313**

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एडं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

ह.
(भीम सेन बस्सी)
अध्यक्ष
डिन सं. 06699868

ह.
(किशन कुमार)
प्रबंध निदेशक
डिन सं. 06855317

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2015

Cash Flow Statement For the Year ended March 31, 2015

(Amount in Rs.)

Particulars	Year ended March 31, 2015	Year ended March 31, 2014
Cash Flow from Operating Activities		
Profit before taxation		
Adjustments for:	161,75,719	132,15,394
Interest income	(474,74,126)	(467,39,843)
Interest expense	-	-
Operating Profit before working capital Changes	**(313,98,407)**	**(335,24,449)**
Movement in working capital		
Changes in Current Assets	9,51,146	27,61,523
Changes in Current Liabilities	(1027,66,100)	1573,95,070
Cash generated from operations	(1332,13,361)	1266,32,144
Income Tax paid	(48,48,862)	(51,53,280)
Net cash used/Generated from operating activities	**(1380,62,223)**	**1214,78,864**
Cash Flow from Investing Activities		
Interest received	475,74,126	467,39,843
Net cash used/Generated from Investing activities	475,74,126	467,39,843
Cash Flow from Financing Activities		
Net cash used/Generated from financing activities	-	-
Net (decrease) in cash and cash equivalents	(904,88,097)	1682,18,707
Cash & cash equivalents at beginning of the period	2457,23,313	775,04,606
Cash & cash equivalents at end of the period	**1552,35,216**	**2457,23,313**

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

Sd/-
(Bhim Sain Bassi)
Chairman
DIN No.06699868

Sd/-
(Kishan Kumar)
Managing Director
DIN No.06855317

Place : New Delhi
Date : 10.08.2015

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रस्तुति की प्रासंगिक आवश्यकता का पालन करते हैं।

ख. स्थायी आस्तियां

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई।

ग. मूल्याह्रास

कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई, अतएव वर्ष के दौरान, कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया।

घ. गैर–चालू देयताएं

आरंभिक खर्चों और अन्य व्ययों को दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित किया गया है और जिसे उन्हें अदा किया जाना है, क्योंकि गैर–चालू देयताएं माना गया है।

ङ. आय (राजस्व) मान्यता नीति

आय को जब कभी अर्जित किया जाएगा मान्यता दी जाएगी।

च. करों के लिए लेखांकन

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में कर अदायगी की राशि पर चालू कर निर्धारित किया है।

छ. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

सरकार और अन्य एजेंसियों से राजस्व व्यय के लिए प्राप्त अनुदानों को समय के साथ मान्यता दी गई जिस पर संबंधित लागतों को खर्च किया गया तथा संबंधित व्यय से कटौती की गई। कंपनी को सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण निधि में से पुलिस थाना के निर्माण और आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। कंपनी इन अनुदानों को राजस्व अनुदान माना है तथा इन अनुदानों में एचपीएल और राइट्स लिमिटेड को किए गए सभी भुगतानों को कार्यपूर्णता की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के रूप में मानने के बजाय लाभ और हानि के लेखे में निर्माण व्यय तथा निष्पादन और परामर्श प्रभार के शीर्ष के अंतर्गत बुक किया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. BASIC PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

b. FIXED ASSETS

No Fixed Assets purchased during the year.

c. DEPRECIATION

There is no Fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

d. NON-CURRENT LIABILITIES

Preliminary Expenses and other Expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as non-current Liabilities.

e. REVENUE RECOGNITION POLICY

Income is recognized as and when accrued.

f. ACCOUNGING FOR TAX

Current Tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

g. ACCOUNTING OF GOVERNMENT GRANTS

Grants from government and other agencies towards revenue expenditure are recognized over the period in which the related costs are incurred. The company has been receiving Government grants for the purpose of Construction/Modernization of Police Stations out the police modernization fund. The payment made during the year from these grant is treated as revenue grant for the current year and balance grant is shown as unutilized grant under current liability. The company also booked these payments as expenditure under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Statement of Profit & loss instead of treating them as Capital work in progress the basis of degree of completion work.

ज. प्रावधान

माप में अनुमानों की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जहां घटना के परिणामस्वरूप दायित्व होता है तथा यह संभव हो कि वहां स्रोत का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है लेकिन लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। आकस्मिक आस्तियों को ना ही मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणिका में प्रकट किया गया है।

झ. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना और उसका प्रकटीकरण अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की प्रति शेयर भारित औसत संख्या का प्रयोग कर की जाती है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन की गणना और उसका प्रकटीकरण, जब परिणाम तरलीकृत न हो उसे छोड़कर, अवधि के दौरान बकाया शेयरों के समकक्ष ईक्विटी और तरलीकृत ईक्विटी की भारित औसत संख्या का प्रयोग किया जाता है।

ञ. जहां कहीं आवश्यक है पूर्व वर्ष के शेष/आंकड़ों को पुनः जोड़ा और व्यस्थित किया गया।

h. PROVISIONS

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

i. EARNING PER SHARE

Basic Earnings per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent share outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

j. Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 शेयर पूंजी

1.1 विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	10,00,000	1000,00,000	10,00,000	1000,00,000
जारी प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त प्रति रुपए 100/– के ईक्विटी शेयर	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000
कुल	**5,00,000**	**500,00,000**	**5,00,000**	**500,00,000**

1.2 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2015 को ईक्विटी शेयर		31/03/2014 को ईक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000

1.3 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	ईक्विटी शेयर	99.99%

1.4 31/03/2015 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	–
अधिकारियों द्वारा	–

2. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	367,22,437	278,08,610
जोड़े : लाभ और हानि लेखा	109,25,401	89,13,827
कुल	**476,47,838**	**367,22,437**

Note on Financial Statements for the Year ended 31st March,2015

1 SHARE CAPITAL

1.1 Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Authorised Equity shares of Rs.100 each	10,00,000	1000,00,000	10,00,000	1000,00,000
Issued Equity shares of Rs.100 each	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000
Subscribed and Paid up Equity shares of Rs. 100 each	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000
Total	**5,00,000**	**500,00,000**	**5,00,000**	**500,00,000**

1.2 The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share Capital as at March 31, 2015 and March 31, 2014 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2015		Equity Shares as on 31/03/2014	
	No.	Amount	No.	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	5,00,000	500,00,000	5,00,000	500,00,000

1.3 Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	No. of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	4,99,940	Equity Share	99.99%

1.4 Unpaid calls as on 31/03/2015

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

2 RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Opening Balance	367,22,437	278,08,610
Add: Profit & Loss A/c	109,25,401	89,13,827
Total	**476,47,838**	**367,22,437**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
दिल्ली पुलिस	7,89,503	–
कुल	**7,89,503**	–

4. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	659,39,944	1659,39,944
दिल्ली पुलिस	–	7,89,503
भुगतान योग्य व्यावसायिक प्रभार	63,000	54,000
भुगतान योग्य लेखापरीक्षा फीस	42,472	35,393
आशु गुप्ता एंड कंपनी	1,11,180	60,674
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती	23,517	6,81,164
राइट्स लि.	–	23,39,693
प्रतिभूति निवेश राइट्स	1,64,655	–
कुल	**663,44,768**	**1699,00,371**

5. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर हेतु प्रावधान	52,50,318	–
घटाएं: अग्रिम कर	30,64,250	–
घटाएं: स्रोत पर कर की कटौती	17,84,612	–
कुल	**4,01,456**	–

6. नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	31,396	51,013
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	–	46,995
ख) अन्य (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	1552,03,820	2456,25,305
कुल	**1552,35,216**	**2457,23,313**

Note on Financial Statements for the Year ended 31st March,2015

3. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Delhi Police	7,89,503	-
Total	**7,89,503**	-

4. OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Unspent Government Grant	659,39,944	1659,39,944
Delhi Police	-	7,89,503
Professional Charges Payable	63,000	54,000
Audit Fees Payable	42,472	35,393
Ashu Gupta & Co.	1,11,180	60,674
TDS Payable	23,517	6,81,164
Rites Ltd.	-	23,39,693
Security Deposit Rites	1,64,655	-
Total	**663,44,768**	**1699,00,371**

5. SHORT TERM PROVISIONS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Provision for Tax	52,50,318	-
Less: Advance Tax	30,64,250	-
Less: TDS Adjusted	17,84,612	-
Total	**4,01,456**	-

6. CASH & CASH EQUIVALENTS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
a) Balance with Bank	31,396	51,013
State Bank of India –A/c-825	-	46,995
State Bank of India-A/c-1075		
b) Others (Specify nature) FDR's with SBI	1552,03,820	2456,25,305
Total	**1552,35,216**	**2457,23,313**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

7. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
आयकर वापसी	8,45,227	8,51,713
कुल	**8,45,227**	**8,51,713**

8. अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्राप्ति योग्य एफडीआर पर ब्याज	31,03,122	36,90,864
पीडब्ल्यूडी	60,00,000	60,00,000
हिंदुस्तान प्रीफैब लि.	–	3,56,918
कुल	**91,03,122**	**100,47,782**

9. अन्य आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
सरकारी अनुदान स्वीकारना	1000,00,000	771,00,056
एसबीआई में सावधि जमा पर ब्याज	178,46,659	149,96,722
अग्रिम पर ब्याज	297,27,467	317,43,121
कुल	**1475,74,126**	**1238,39,899**

10. परियोजना लागत का व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	1217,69,874	1032,20,854
कुल	**1217,69,874**	**1032,20,854**

11. अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2014 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निष्पादन और परामर्श प्रभार	90,25,079	68,61,468
कानूनी और व्यावसायी फीस	83,483	60,000
प्रतिधारण प्रभार	4,60,676	3,93,260
आरओसी फीस	5,000	3,700
विविध व्यय	–	1,934
स्रोत पर कर की कटौती पर ब्याज		200
आयकर पर ब्याज	6,486	42,437
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	47,191	39,326
बैंक प्रभार	618	1,326
कुल	**96,28,533**	**74,03,651**

Note on Financial Statements for the Year ended 31st March,2015

7. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Income Tax Refund	8,45,227	8,51,713
Total	**8,45,227**	**8,51,713**

8. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Interest on FDR Receivable	31,03,122	36,90,864
PWD	60,00,000	60,00,000
Hindustan Prefab Ltd.	-	3,56,918
Total	**91,03,122**	**100,47,782**

9 OTHER INCOMES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Government Grant recognize	1000,00,000	771,00,056
Interest on term deposit with SBI	178,46,659	149,96,722
Interest on Advance	297,27,467	317,43,121
Total	**1475,74,126**	**1238,39,899**

10 COST OF PROJECT EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Construction Expenses (Police Station)	1217,69,874	1032,20,854
Total	**1217,69,874**	**1032,20,854**

11 OTHER EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2015	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2014
Execution & Consultancy Charges	90,25,079	68,61,468
Legal & Professional Fees	83,483	60,000
Retainership Charges	4,60,676	393,260
ROC Fees	5,000	3,700
Misc Expenses	-	1,934
Interest on TDS		200
Interest on Income Tax	6,486	42,437
Auditors Remuneration	47,191	39,326
Bank Charges	618	1,326
Total	**96,28,533**	**74,03,651**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

12. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त अनुदान में से रू 10,00,00,000/– का भुगतान राईट्स लि. को किया तथा इस अनुदान के किए गए सभी भुगतानों को निर्माण लागत संबंधी व्यय के रूप में दिखाया गया चाहे इस तथ्य के बावजूद कि उसका उपयोग किया गया है या नहीं।

13. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी को मैसर्स हिंदुस्तान प्रिफैब लिमिटेड और राईट्स लि. द्वारा उन्हें पुलिस थाना के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए दिए अग्रिम पर क्रमशः रू 72,45,333/– तथा रू 2,24,82,134/– का ब्याज प्रदान किया गया है। कंपनी ने इन ब्याजों को अन्य आय शीर्षांतर्गत रखा है और इन पार्टियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर इस राशि को निर्माण लागत और निष्पादन व परामर्श प्रभार के शीर्ष के तहत समायोजन के पश्चात् नामे भी किया है।

14. दिनांक 31.03.2014 को रु.16,59,39,944/– का अनुदान का बकाया शेष है तथा इन अनुदानों में से राईट्स लिमिटेड और अन्यों को अदा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु.10,00,00,000/– का उपयोग किया गया। इन अप्रयुक्त अनुदानों को तुलन–पत्र में अन्य चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक–12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।

15. पक्षकारों के शेष और अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं।

16. कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

17. लेखा मानक–15 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का अपना कोई कर्मचारी नहीं है

18. प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2015

12. During the financial year, the Company made a payment of Rs.10,00,00,000/- to Rites Limited from the unutilized grant. The payment made out of this grant is treated as expenditure relating to Construction Cost irrespective of the fact that the same is utilized or not.

13. The Hindustan Prefab Limited and Rites Limited has provided the interest for Rs.72,45,333/- and Rs.2,24,82,134/- respectively during the financial year 2014-2015 to the Company on the fund lying with them out of the amount provided for construction and modernization of Police Station. The Company has accounted these interests under the head other income and also debited such sum under the head Cost of Construction after adjusting the Execution & Consultancy charges of project on the basis of certificates provided by these parties.

14. There was outstanding balance of Rs.16,59,39,944/- of unutilized grant as on 31/03/2014 and out of this unutilized grant Rs.10,00,00,000/- has been utilized during the financial year 2014-2015 by making payment to Rites Limited. The unutilized grant is shown in other current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & Loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard – 12.

15. Balances of Parties & Advances are subject to confirmation.

16. There is no Contingent liability of the Company.

17. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.

18. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं0 S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	डॉ. ए. के. सक्सेना Dr. A.K. Saxena	निदेशक (दिल्ली) गृह मंत्रालय Director (Delhi) MHA	22/06/2012	19/12/2014
2.	श्री भीम सेन बस्सी Sh. Bhim Sain Bassi	अध्यक्ष Chairman	31/07/2013	जारी Continuing
3.	श्री गिरधारी लाल मीणा Shri Girdhari Lal Meena	नामित निदेशक Nominee Director	29/10/2013	जारी Continuing
4.	श्री एस. पी. पाठक Sh. S.P. Pathak	नामित निदेशक Nominee Director	27/02/2014	जारी Continuing
5.	श्री किशन कुमार Sh. Kishan Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	28/03/2014	जारी Continuing
6.	श्री राकेश मित्तल Sh. Rakesh Mittal	अपर निदेशक Additional Director	20/03/2015	जारी Continuing

19. कंपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती हैं, जहां इसे कानून योग्य अधिकार हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक – 22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं के समाधान करना होता है तथा तद्नुसार, कर के लिए प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

राशि (रुपयों में)

कर के लिए प्रावधान	52,50,318
अग्रिम कर	30,64,250
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	17,84,612
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	4,01,456

19. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intends to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

(Amount in Rs.)

Provision for Tax	52,50,318
Advance Tax	30,64,250
TDS receivable	17,84,612
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	4,01,456

20. प्रति शेयर मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित की गई है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

20. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity share holders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

(राशि रुपयों में /Amount in Rs.)

प्रति शेयर अर्जन	Calculation of EPS	As on 31.03.2015 को	As on 31.03.2014 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	109,25,401	89,13,827
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	5,00,000	5,00,000
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	21.85	17.83
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100	100

21. कंपनी की लघु उद्योग/उपक्रमों के प्रति कोई देयताएं नहीं है

21. The Company has no outstanding liability towards small – scale Industries/undertakings.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **सुंदर शर्मा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन

ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.	ह.
(भीम सेन बस्सी)	**(किशन कुमार)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक
डिन सं. 06699868	डिन सं. 06855317

As per our report of even date attached
For **Sunder Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN :008629N

Sd/-
(CA. Sunder Sharma)
Partner
M.No.087495

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-	Sd/-
(Bhim Sain Bassi)	**(Kishan Kumar)**
Chairman	Managing Director
DIN No.06699868	DIN No.06855317

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 10.08.2015

कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रमाणन

हमे भीम सेन बस्सी, अध्यक्ष और किशन कुमार, प्रबंध निदेशक दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (''कंपनी'') कप्रमाणित करते हैं कि:

1. हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

(i) इन कथनों में वस्तुतः कोई असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं है या ऐसे कथन को शामिल किया है जो भ्रामक हो सकता है।

(ii) ये कथन कंपनी के कार्यों के बारे में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कंपनी की आचार संहिता के प्रति धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन नहीं है।

3. हम वित्तीय रिर्पोटिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिर्पोटिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति, इस तरह के डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है। आंतरिक नियंत्रण यदि कोई है, जिसके बारे में हम जागरूक हों और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम उठाए जाएं।

4. वर्ष के दौरानः

(i) वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ii) लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iii) धोखाधड़ी के कोई उदाहरण नहीं मिले जिससे पता चलता कि वित्तीय रिर्पोटिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंध समिति या अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.	ह.
(भीम सेन बस्सी)	**(किशन कुमार)**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक
डिन सं. 06699868	डिन सं. 06855317

CERTIFICATION ON FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY

We Bhim Sain Bassi, Chairman and Kishan Kumar, Managing Director of Delhi Police Housing Corporation Limited ('the Company'), certify that:

1. We have rev iewed the financial statements and the cash flow statement of the Company for the year ended March 31, 2015 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

2. To the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year ended March 31, 2015 are fraudulent, illegal or violative to the Company's code of conduct.

3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and have disclosed to the Auditors and Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps taken or proposed to be taken to rectify these deficiencies.

4. During the year:

(i) There has not been any significant changes in internal control over financial reporting;

(ii) There have not been any significant changes in accounting policies except the Point (d) in Significant Accounting Policies; and

(iii) There have been no instances of significant fraud of which we are aware that involve management or other employees, having significant role in the company's internal control system over financial reporting.

For and on behalf of the Board
Delhi Police Housing Corporation Ltd.

Sd/-	Sd/-
(Bhim Sain Bassi)	**(Kishan Kumar)**
Chairman	Managing Director
DIN No.06699868	DIN No.06855317

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (कंपनी) की इसके साथ संबद्ध वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 के तुलन–पत्र उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुसरण के लिए शामिल हैं। जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण भी वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकार्डो की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सत्य व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं, चाहे धोखा और त्रुटि के कारण हुआ हो।

Independent Auditor's Report

THE MEMBERS

OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of DELHI POLICE HO0USING CORPORATION LIMITED, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 (the Act) with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of Act read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा है, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है; इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन के जोखिम का मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को माना है जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को अभिकल्पित करने के लिए जो सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं, जो उस परिस्थिति में उपयुक्त है, लेकिन इस बात पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं कि कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के संचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा लेखांकन अनुमानों की युक्तियुक्तता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीक से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को दर्शाते हैं और कंपनी के कार्य का भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में 31 मार्च, 2015 को कंपनी कार्य की स्थिति उसका लाभ और उसके नकद प्रवाह का सही उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, बशर्तें कि मामले के महत्व के अधीन।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion of these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March 2015, its profit and its cash flows for the year ended on that date, Subject to Emphasis of Matters.

मामले का महत्व

हम वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 12 और 13 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो अनुदान राशि में से राइट्स लिमिटेड को किए गए भुगतान के लिए निर्माण लागत के रूप में दर्ज के संबंध में है तथा राइट्स लिमिटेड और हिंदुस्तान प्रिफैब लिमिटेड से प्राप्त ब्याज की तर्ज पर उसे व्यय के रूप में निर्माण लागत के अनुसार विचार किया गया।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय नहीं बदलेगी।

अन्य विधिक विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1 अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (आदेश) की अपेक्षा अनुसार, लागू होने की सीमा तक हम पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है;

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशकों द्वारा रिकार्ड करने के आधार पर अधिनियम की धारा 162(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2015 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

Emphasis of Matters

We draw attention to the Notes No.12 and 13 to the Financial Statement, in respect of booking of Construction Cost as expenses against the payments made to Rites Limited out of the grant and considering the Construction Cost as expenses to the tune of Interest Received from Rites Limited and Hindustan Prefab Limited.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters Specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

d) in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e) on the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2015, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2015, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

f) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:

कार्यालय:191, गली बताशां, चावड़ी बाज़ार, दिल्ली–110006
ई–मेल: Sunderjoti@gmail.com, Sunderjoti@yahoo.co.in
फोन : 011-23278739,24504577 मोबाईल : 9899728700

Office : 191, Gali Batashah Chawari Bazar, Delhi – 110006
e mail : Sunderjoti@gmail.com, Sunderjoti@yahoo.co.in
Phone : 011-23278739,24504577 Mobile : 9899728700

i. कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii. कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

कृते **सुंदर शर्मा एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन

ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :10.08.2015

i. The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses

iii. There were no amounts required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.

For **SUNDER SHARMA & CO.**
Chartered Accountants
FRN-008629N

(CA SUNDER SHARMA)
Partner
M.No.-087495

Place : New Delhi
Date :10-08-2015

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक

ऐसी जांच जिसे हमने उपयुक्त समझा तथा लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हमे दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

(i) **स्थायी आस्तियों के संबंध में**

मद सं. (i) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) **माल सूची के संबंध में**

मद सं. (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई माल सूची नहीं है।

(iii) **ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत प्रदान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में भामिल पार्टियों को ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत प्रदान करने के संबंध में**

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया। इसलिए मद सं. (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(iv) हमें स्पष्ट किया गया कि कंपनी के आकार और कार्य–व्यापार की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी माल और अचल संपत्ति खरीदने एवं व्ययों के भुगतान तथा सामानों की बिक्री संबंधी कार्यों का निष्पादन एजेंसियों मैसर्स राईट्स लिमिटेड और मैसर्स हिंदुस्तान प्रिफेब लिमिटेड के माध्यम से करवाती है, जिनकी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

(v) वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।

(vi) हमें सूचित किए अनुसार, कंपनी की गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

Annexure to Auditor's Report

The Annexure referred to in paragraph 1 of the Our Report of even date to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the Company for the year ended 31st March, 2015.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

(i) **In respect of its fixed assets:**

This point is not applicable to the company as the company had no fixed asset during the period of audit.

(ii) **In respect of its inventory:**

This point is not applicable to the company as the company had no Inventory during the period of audit.

(iii) **In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013:**

According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans to companies, firms or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

(iv) It is explained to us that there is no need of internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchase of inventories and fixed assets and for sale of goods and services as it is getting its work done through executing agencies M/s Rites Limited and M/s Hindustan Prefab Limited which have their own internal control system.

(v) The company has not received any public deposits during the year.

(vi) As informed to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the Company.

(vii) **सांविधिक देयों के संबंध में**

(क) कंपनी के रिकॉर्ड तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार सामान्यतः कंपनी निर्विवाद सांविधिक देयो को उचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष, आयकर, स्रोत पर की कटौती, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और कंपनी पर लागू अन्य भौतिक सांविधिक देयों सहित।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2015 को बकाया अदत्त के रूप में आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देयोंके संबंध में अदायगी योग्य की तारीख से छः मास से अधिक की अवधि के लिए भुगतान योग्य कोई निर्विवाद नहीं था।

(ग) निदेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में कंपनी द्वारा अंतरित करने के लिए कोई धन राशि नहीं थी।

(viii) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में संचित घाटा नहीं हुआ है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि को पूरा नहीं किया है।

(ix) कंपनी के पास किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक डिबेंचरधारकों के लिए कोई बकाया नहीं है इसलिए इस आदेश का पैरा लागू नहीं है।

(X) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान अन्य द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गांरटी नहीं दी है।

(xi) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं उठाया है इसलिए इस आदेश का पैरा लागू नहीं है।

(xii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धोखाधड़ी तथा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी को न नोटिस किया गया अथवा रिपोर्ट किया गया।

कृते **सुंदर शर्मा एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन–008629एन
ह.
(सीए सुंदर शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087495

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :10.08.2015

(vii) **In respect of statutory dues:**

(a) According to the records of the company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees State Insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax Deducted at Sources, Tax Collected at Source, Professional Tax, Sales Tax, Value Added Tax (VAT), Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanations given to us, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-Tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, Sales Tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears/were outstanding as at 31st March, 2015 for a period of more than six months from the date they became payable.

(c) There were no amounts which required to be transferred by the company to the Investor Education and Protection Fund.

(viii) The Company does not have the accumulated losses at the end of financial year. The Company has not incurred any Cash losses during the financial covered by our Audit and the immediately preceding financial year.

(ix) The Company does not have any dues to any Financial Institution, Bank, Debenture holders, so this Para of order is not applicable.

(x) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.

(xi) The company has not obtained any term loan during the year, so this Para of order is not applicable.

(xii) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

For **SUNDER SHARMA & CO.**
Chartered Accountants
FRN-008629N

(CA SUNDER SHARMA)
Partner
M.No.-087495

Place : New Delhi
Date :10-08-2015

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

सं.358–पीडीसीए / एचएस / एमएबी–IV / डीपीएचसीएल / एआईसीएस / 15–16 / 3062

दिनांक : 24.08.2015

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के–ब्लॉक, विकास भवन
आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली–110002

विषय :भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

महोदय,

मैं **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.
((डॉ. आशुतोष शर्मा)
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–IV

संलग्नकः उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स : 23239416
ई–मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

Confidential

No. 358-PDCA/HS/MAB-IV/DPHCL/ AICS /15-16/3062
Dated: 24.08.2015

To

Managing Director
Delhi Police Housing Corporation Limited
K Block, Vikas Bhavan,
IP Estate, New Delhi-2.

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2015.

Sir,

I am to enclose herewith a Non-Review Certificate under section 143(6)(b) of the companies act, 2013 on the accounts of **Delhi Police Housing Corporation Limited** the year ended 31st March 2015.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Dr. Ashutosh Sharma)
Pr. Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकों की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन समिति का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानको पर आधारित कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिका पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी **10.08.2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

ह.

(डॉ0 आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .–IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2015

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section **139(5)** of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **10.08.2015.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31st March 2015 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi

Date: .08.2015

(Dr. Ashutosh Sharma)
Pr. Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-IV